झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचम–सत्र
वर्ग–04

06 फाल्गुन, 1937 (श0)

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांकः----------को
25 फरवरी, 2016 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
'क''(22)–	अ0सू0–02	श्री राधा कृष्ण किशोर	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	06.02.16
(50)–	अ0सू0–11	श्री बिरंची नारायण	सिंचाई की सुविधा।	जल संसाधन	12.02.16
(51)–	अ0सू0–17	श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	12.02.16
(52)–	अ0सू0–14	श्री सुखदेव भगत	योजना का कियान्वयन।	ऊर्जा	12.02.16
(53)–	अ0सू0–09	श्री योगेश्वर महतो	मानदेय देना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	06.02.16
(54)–	अ0सू0–25	श्री राजकुमार यादव	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.16
(55)–	अ0सू0–12	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	चारा की व्यवस्था।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	12.02.16
(56)–	अ0सू0–33	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	आय वृद्धि योजना।	कल्याण	17.02.16
(57)–	अ0सू0–27	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.16
(58)–	अ0सू0–38	श्री अरूप चटर्जी	अविलंब समुचित कार्रवाई।	ऊर्जा	19.02.16

कृ0पृ0उ0.../

01	02	03	04	05	06
(59)- अ0सू0-28	श्री दीपक बिरूवा	विधि सम्मत कार्रवाई।		खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्तां मामले।	17.02.16
(60)- अ0सू0-16	श्री प्रदीप यादव	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।		कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	12.02.16
(61)- अ0सू0-23	श्री शिवशंकर उराँव	दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई		कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.16

नोटः-''क''-22 दिनांक-18.02.2016 से सदन द्वारा दिनांक-25.02.2016 के लिए स्थागित।

राँची
दिनांक :-25,फरवरी,2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :-प्रश्न-01/2016-1383/वि0स0,राँची,दिनांक-22.फरवरी,2016ई0

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :-प्रश्न-01/2016-1383/वि0स0,राँची,दिनांक-22.फरवरी,2016ई0।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय,एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

mangal

क"22

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.16 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-०२ का उत्तर प्रतिवेदन

अनुपूरक

प्रश्नकर्त्ता श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा विद्युतीकृत 23715 गाँवों के लिए Third party inspection करा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि Inspection के लिए TCIL नामक एजेन्सी नियुक्त किया गया था ?	झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत 10 वीं एवं 11 वीं योजना के अन्तर्गत कुल 18803 गाँव एवं 6027 टोले कुल 24830 ग्रामों/टोलों को विद्युतीकरण हेतु आवंटित किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध 18055 अविद्युतीकृत गाँव एवं 5610 अविद्युतीकृत टोलो कुल 23665 ग्रामों/टोलों का विद्युतीकरण जनवरी 2016 तक पूर्ण कर लिया गया है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के 10 वीं योजना में Third party inspection का प्रावधान नहीं था। लेकिन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2008 में अपने क्षेत्राधिकार के 6 जिलों यथा सिंहभूम (पूर्व), सिंहभूम (पश्चिम), सरायकेला–खरसावाँ, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिलों में Third party inspection हेतु TCIL का चयन कर कार्य प्रारंभ कराया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के क्षेत्राधीन उक्त जिलों से संबंधित Third party inspection का प्रतिवेदन निम्न है:–

जिला	No. Of villges covered under project	Offered for inspection to TCIL as on date	Inspection made by TCIL	Balance for inspection
सिंहभूम (पूर्व)	1331	1323	1323	8
सिंहभूम (पश्चिम) पार्ट –1	556	522	522	34
सिंहभूम (पश्चिम) पार्ट –2	530	530	530	0
सरायकेला–खरसावाँ	730	720	719	11
लातेहार	668	402	402	266
गढ़वा	743	378	378	365
पलामू	1455	883	883	572
कुल	**6013**	**4758**	**4757**	**1256**

11 वीं योजना के अन्तर्गत शेष 9 जिलों में जहाँ एन०टी०पी०सी० एवं डी०भी०सी० कार्यकारी ऐजेन्सी है में 50 प्रतिशत गाँवों का Third party inspection का प्रावधान है। उक्त योजना के अन्तर्गत जिलावार Third party inspection का प्रतिवेदन निम्न है।

जिला	No. Of villages covered under project	No. Of villages covered under scope of TPIA (50% of Covereage	Inspection made by TPIA	Balance for inspection
चतरा	1231	616	118	498
हजारीबाग	1144	572	561	11
गिरिडीह	2202	1101	1101	0
दुमका	2659	1330	1330	0
गोड्डा	1445	736	736	0
लोहरदगा	296	148	148	0
साहेबगंज	1208	604	604	0
पाकुड़	956	478	478	0
राँची (खूँटी)	1544	784	614	170
कुल	**12685**	**6369**	**5690**	**679**

Third party inspection का कार्य प्रगति पर एवं इसे अगस्त 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

2. पलामू, गढ़वा, लातेहार में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम IVRCL द्वारा किया जा रहा था। कुल एकरारनामें की राशि क्या थी ? IVRCL को कितनी राशि का भुगतान हुआ ?

लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिला में IVRCL को आवंटित कार्य हेतु एकरारनामे की राशि निम्न है:–

(राशि करोड़ में)

जिला	आवंटित गाँव		विद्युत उपकेन्द्र	एकरारनामे की राशि	Admitted bill का भुगतान		कुल भुगतान
	गाँव	टोला			Supply	Erection	
लातेहार	599	69	5	129.83	96.07	11.56	107.63
गढ़वा	539	204	10	152.47	100.30	17.30	117.60
पलामू	1144	311	4	185.32	135.51	21.25	156.76
कुल	2282	584	19	467.62	331.88	50.11	381.99

कलान्तर में उक्त योजनाओं हेतु आर०ई०सी०, नई दिल्ली ने जिलावार निम्न प्रकार से पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी है।

जिला	आर०ई०सी० द्वारा पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति
लातेहार	141.74
गढ़वा	160.98
पलामू	200.70
कुल	503.42

3. क्या सरकार बताएगी कि विभागीय स्तर पर 1165 गाँवों के विद्युतीकरण पर कितनी राशि खर्च होगी ? सरकार ने उत्तर में कहा है कि IVRCL द्वारा पलामू, गढ़वा, लातेहार में छोड़े गए गाँवों/टोलों (1165) का विद्युतीकरण विभागीय स्तर पर किया जायेगा ?

IVRCL के द्वारा छोड़े गए कार्यो को विभागीय स्तर से करने हेतु आर०ई०सी, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या 137 दिनांक 25.08.15 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात IVRCL के द्वारा छोड़े गए कार्यो का लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिलों में विभागीय स्तर कार्य करने हेतु स्वीकृत प्राक्कलन निम्न है:–

जिला	आवंटित गाँव		विद्युत उपकेन्द्र	परियोजना लागत (रू० करोड़ में)
	गाँव	टोला		
लातेहार	130	20	2	67.95
गढ़वा	130	127	3	99.38
पलामू	325	120	0	81.84
कुल	585	267	5	249.17
2% TPIA				4.98
कुल				254.20

इस योजना में 10 एवं 16 के०भी०ए० के ट्रांसफार्मर के स्थान पर 25 के०भी०ए० के ट्रांसफार्मर का प्रावधान किया गया है। 2 फेज 11 के०भी० लाईन की जगह 3 फेज 11 के०भी० लाईन Rabbit Conductor से, एल०टी० लाईन में 3 फेज AB Cable, 33 के०भी० लाईन में रेल पोल, सब–स्टेशन में 3.15 MVA का Power Transformer के जगह 5 MVA का ट्रांसफार्मर भविष्य के लोड को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है।

बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 02.11.15 की बैठक में लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिलों में विभागीय स्तर से कार्य कराने हेतु कुल 254.20 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई।

बोर्ड से स्वीकृति मिलने के उपरान्त पहले से स्वीकृत राशि एवं प्राप्त राशि के अन्तर 56.98 करोड़ को भुगतान एवं नया DPR क राशि में वृद्धि रू० 142.51 करोड़ कुल 199.50 करोड़ को निर्गत करने हेतु पत्रांक 669/आर०ई० दिनांक 02.12.15 के द्वारा आर०ई०सी०, नई दिल्ली से मांग की गई।

वित्तीय नियम के अनुसार किसी भी कार्य के बीच में जब एजेन्सी काम छोड़ दे तो छोड़े गए कार्यो पर होने वाले खर्च की राशि की वसूली एजेन्सी द्वारा की जाएगी ?

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2013 के द्वारा IVRCL के 132.00 करोड़ के बैंक गरांटी (BG) को पूर्व में ही जब्त कर लिया गया है।

सरकार को हुई क्षति की गणना हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम के कार्यालय आदेश संख्या 236 दिनांक 08.02.16 द्वारा एक कमिटि का गठन किया गया है जिसे एक माह के अन्दर प्रतिवेदन देना है। कमिटि के प्रतिवेदन के आधार पर IVRCL पर क्षतिपूर्ति हेतु दावा किया जाएगा।

क्या सरकार IVRCL कम्पनी से 1165 गाँवों/टोलों पर विभाग द्वारा खर्च होने वाली राशि का Claim किया गया है ?

पलामू जिले के वैसे गाँवों जो आज तक किसी भी स्त्रोत से विद्युतीकरण नहीं है, उन गाँव के विद्युतीकरण हेतु सरकार क्या करना चाहती है?	उपरोक्त योजना के अतिरिक्त बचे हुए गाँव/टोले को निम्न योजना में शामिल किया गया गया है जिसका जिलावार विवरणी निम्न है:–

योजना	पलामू	गढ़वा	लातेहार	योजना वार कुल ग्रामों/टोलों	पूर्ण करने का लक्ष्य
आर०ई० स्टेट प्लान	42	3	3	48	मार्च'16
डी०डी०यू०जी०जे०वाई० (गाँव)	35	12	33	80	दिसम्बर'16
डी०डी०यू०जी०जे०वाई० (टोला)	1550	622	194	2366	
डी०डी०जी०	20	16	32	68	दिसम्बर'16
कुल (ग्राम/टोला)	**1647**	**653**	**262**	**2562**	

आर०ई० स्टेट प्लान के तहत पलामू जिले 13 ग्राम एवं 03 गढ़वा जिलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष में कार्य प्रगति पर है। डी०डी०यू०जी०जे०वाई० के तहत विभागीय स्तर से अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं टोले और संरचना सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में है।

श्री सुखदेव भगत, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25.02.216 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 का अनुपूरक प्रश्नोत्तरी

प्रश्न	उत्तर
लोहरदगा जिला में Forest Clearance के कारण विद्युतीकरण का कार्य बाधित है। विद्युतीकरण हेतु Tubular Pole की आवश्यकता है। विद्युतीकरण हेतु कब तक कार्य प्रारंभ किया जायेगा?	लोहरदगा जिला के 55 ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य Forest Clearance के कारण बाधित नहीं है। उक्त 55 अविद्युतीकृत ग्रामों को भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया गया है। योजना की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया जारी है। भौगोलिक स्थिति एवं घने जंगल को देखते हुए सीमेंट पोल के स्थान पर ट्यूबलर पोल (Tubular Pole) एवं HT & LT केबल से कार्य कराने हेतु DPR में संशोधन किया जा रहा है। इस कार्य को दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 550 / दिनांक 24/2/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/16
सरकार के अवर सचिव

(50)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 1977 में बोकारो जिला के चास प्रखंड स्थित पिंड्राजोरा के केंदाडीह गाँव में 25 करोड़ की लागत से बहुद्देशीय गवई बराज के डैम का निर्माण कर प्रारंभ कराया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना का निर्माण कार्य 1972–1973 में प्रारम्भ हुआ था। योजना की लागत राशि रू० 227.48 लाख थी।
2.	क्या यह बात सही है कि गवई बराज के नहर का निर्माण डैम के उपर कर दिया गया था, जिस कारण डैम का पानी नहर तक नहीं पहुँच पाता है और यदि बराज पूर्णरूपेण भरता है तो भी पानी 8 किलोमीटर तक ही पहुँच पाता है एवं बराज का पानी आगे नहीं बढ़ता है, जिससे लगभग 10,000 एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित रह जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रारम्भ वर्ष 1982 से ही नहर की पूरी लम्बाई में जल प्रवाह नहीं हो सका है। इसका कारण है कि नहर के कुछ भागों में नहर तल में पत्थर पाये जाने के फलस्वरूप नहर का रूपांकित गहराई तक खुदाई नहीं होना।
3.	क्या यह बात सही है कि अक्टूबर 2013 में पाईलीन चक्रपात के कारण ध्वस्त गवाई बराज डैम के जीर्णोद्धार हेतु करीब 83 करोड़ रूपये की निविदा संपन्न कर काम मुम्बई की कंपनी को देने के बावजूद अब तक डैम के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। इस योजना के पुनरूद्धार हेतु डी०पी०आर० पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त गवाई बराज डैम के जीर्णोद्धार कार्य को प्रारम्भ कराकर चास और चंदनक्यारी प्रखंड के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रित कर योजना के पुनरूद्धार का कार्य वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–03/16 – 1090 **/राँची, दिनांक** 24.02.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 533 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-25.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-17 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि डॉ0 दिलीप कुमार गुप्ता, तत्कालीन अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, चतरा-सह-भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चतरा वर्तमान में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, देवघर पर चतरा जिला में "आत्मा" परियोजना के तहत् कुल 35 पॉली हाउस का निर्माण कराये बिना ही कुल 59.55 लाख रूपये का गबन मामले में श्री के0के0 सोन (I.A.S) तत्कालीन कृषि निदेशक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री अमरेश कुमार इा, पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी, चतरा के साथ-साथ तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी डॉ0 दिलीप कुमार गुप्ता को भी समान रूप से सरकारी राशि का गबन का दोषी पाया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2009-10 में चतरा जिलान्तर्गत पॉली हाउस निर्माण योजना में प्रतिवेदित अनियमितता के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के कंडिका-2 के मंतव्य में डॉ0 गुप्ता जो प्रतिस्थानिक कृषि पदाधिकारी थे, की भूमिका का भी उल्लेख है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जांच के आधार पर डॉ0 दिलीप कुमार गुप्ता के विरूद्ध अब तक किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई नहीं कर उलटे उन्हें कई जिलों के महत्वपूर्ण भूमि संरक्षण के कई पदों पर पदस्थापित किया गया है;	अस्वीकारात्मक है। विभागीय संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के बचाव में आरोपी पदाधिकारी से अंकित आरोपों के क्रम में स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके आलोक में उनके विरूद्ध अंकित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। डॉ0 गुप्ता पर पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा निर्गत चेक पर रोक लगाये जाने तथा पुनः बैंक को नियमानुकूल कार्रवाई करने का पत्र निर्गत करने का आरोप प्रतिवेदित था। बैंक को नियमानुकूल भुगतान करने के लिए पत्र निर्गत करने में श्री गुप्ता पर कोई आरोप सम्पुष्ट नहीं पा कर इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप स्थापित नहीं पाया गया।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब गबन राशि की वापसी एवं डॉ0 गुप्ता को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का विचार	खण्ड-2 में उत्तरित।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-3/कृ0वि0स0(बजट सत्र)-24/2016 646 कृ0,राँची,दिनांक- 24-02-16

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-541 दिनांक-12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-2-16
(राम प्रसाद साय)
सरकार के संयुक्त सचिव

(52)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2016को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-14 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के 40 शहरों में चौबीस घंटे बिजली की निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष में 50 करोड़ रूपये की राशि खर्च करके योजना की शुरूआत की जानी है;		आंशिक स्वीकारात्मक है। भारत सरकार द्वारा राज्य के 40 शहरों जैसे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, झुमरी तिलैया, रामगढ़ छावनी, देवघर, मधुपुर, गोड्डा, बासुकिनाथ, दुमका, जामताड़ा, मिहिजाम, साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल, मझींआव, गढ़वा, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, मेदीनिनगर, लातेहार, गिरिडीह, राँची, बुन्डू, खूँटी, धनबाद, चिरकुन्डा, चास, फुसरो, चाईबासा, चक्रधरपुर, सराईकेला, मनगो, जमशेदपुर जुगसलाई, आदित्यपुर, चाकुलिया, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा में 24 घंटे विद्युत् की निर्बाध आपूर्ति हेतु इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम अनुमोदित की गई। जिसका डी०पी०आर० रू० 1126.67 करोड़ का तैयार कर पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन, नई दिल्ली को भेजा गया। तत्पश्चात् रू० 731.73 करोड़ की डी०पी०आर० राशि एवं रू० 3.66 करोड़ प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एजेन्सी की राशि के रूप में सैधान्तिक स्वीकृति मॉनिटरिंग कमिटि, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2015 को प्रदान की गई है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्धारित राशि को खर्च कर योजना का क्रिर्यान्वयन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उक्त योजना मॉनिटरिंग कमिटि, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष 2016 के अप्रैल माह में स्वीकृति के उपरान्त योजना को 33 माह में पूर्ण करने का प्रावधान है। स्वीकृति के उपरान्त उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 531 /

दिनांक 23/2/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(53)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 25.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री योगेश्वर महतो,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत 22 हजार से ज्यादा जन वितरण विक्रेताओं और सहायक पल्लेदार को उनसे लिए जा रहे कार्यों के एवज में वर्तमान में मिल रहे कार्डधारियों के आधार पर प्राप्त कमीशन 2000/– (दो हजार) रूपये के लगभग मिलता है, जो मात्र इतनी प्राप्त कम राशि से दुकान खर्च, दुकानदार और पल्लेदार के परिवार का गुजारा आज के मँहगाई में संभव नहीं है, जिससे इस महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता और विक्रेताओं की प्रतिबद्धता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 7577, दिनांक 18.12.2015 के द्वारा 45.00 रूपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 80.00 रूपये क्विंटल की दर से खाद्यान्न, नमक एवं चीनी पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कमीशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति लीटर किरासन तेल पर 10 पैसे की दर से कमीशन दुकानदार को दिया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के जन वितरण विक्रेताओं की तरह समान काम करने वाले तमिलनाडु सरकार अपने राज्य के जन वितरण विक्रेताओं को 20,000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय देती है;	राज्य से संबंधित नहीं है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार की तरह झारखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को 20,000/– रू० मासिक मानदेय देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में जन वितरण प्रणाली की नये दुकाने सिर्फ स्वयं सहायता समूह को दी जाती है, अतः एक दुकान चलाने के लिए पूरे समूह को मानदेय प्रदान करना संभव नहीं है।

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 09/2016 – 511 /राँची, दिनांक 15.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 127, वि0स0, दिनांक 06.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(54)

गव्य विकास निदेशालय

(कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)

झारखण्ड, राँची

श्री राजकुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक –25.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री अरूण कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक (गव्य) जो गव्य विकास निदेशालय में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत हुए है तथा अपना प्रभार श्री चन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक (गव्य) को दिया गया है, जिसमें उक्त तिथि तक रोकड़ पंजी में शेष शून्य दिखाया गया है।	श्री अरूण कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक (गव्य) के पद पर पदस्थापित थें तथा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थें। दिनांक–31.12.2015 को श्री पाण्डेय सेवानिवृत्त हुए हैं तथा श्री पाण्डेय द्वारा रोकड़ पंजी में शून्य रोकड़ शेष दिखाते हुए प्रभार सौंपा गया है।
2	क्या यह बात सही है कि भारतीय स्टेट बैंक, धुर्वा में खाता संख्या 32495634956 संधारित है जिसमें दिनांक 31.12.2015 को विभागीय योजनाओं की कुल राशि 10,27,53,212/–(दस करोड़ सत्ताईस लाख तीरपन हजार दो सौ बारह) मात्र शेष है और रोकड़ पंजी में श्री पाण्डेय द्वारा इसे छुपाते हुए शून्य दर्ज कर प्रभार दिया गया है।	गव्य विकास निदेशालय के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय अन्तर्गत **एकमात्र** एक चालू खाता सं०–32495634956 भारतीय स्टेट बैंक, HEC कॉलोनी, धुर्वा, राँची में संधारित है, जिसमें विभिन्न विभागीय योजनाओं की राशि को संधारित किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी राशि से झारखण्ड के गरीब कृषकों को समय पर समूचित लाभ मिल सकता था, जिसे श्री पाण्डेय ने अपने अधीन रखा एवं इसकी जानकारी को सरकार के संज्ञान में नहीं लाया।	यह राशि मूलतः NMPS एवं दुग्ध शीतक केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़िकरण की योजना की शेष बची राशि है। पशुपालकों द्वारा कार्य सम्पन करानें के पश्चात जाँचोपरान्त राशि का भुगतान किया जा रहा है। अतएव यह राशि सरकार के संज्ञान में है एवं तदनुरूप उपयोग की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री पाण्डेय के कार्यविधि के इनके रोकड़ एवं भण्डार से संबंधित अभिलेखों की जाँच करा कर दोषी अधिकारीयों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रोकड़ बही में प्रथम दृष्टया राशि के दुरूपयोग एवं गबन का मामला प्रतीत नहीं होता है, परन्तु रोकड़ पंजी से अलग Ledger खोलकर रखे जाने के कारण इसे स्थापित वित्तीय प्रक्रियाओं के प्रतिकूल मानते हुए श्री पाण्डेय तत्कालीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से कारण पृच्छा किया गया है।

23/2/2016

निदेशक, गव्य

गव्य विकास निदेशालय
(कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)
झारखण्ड, राँची

श्री राजकुमार यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक –25.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 25 से संबंधित पूरक सामग्री :–

---

1. भारतीय स्टेट बैंक, HEC कॉलोनी, धुर्वा, राँची के चालू खाता सं० 32495634956 में अव्यवहृत राशि का विस्तृत विवरणी निम्नवत है :–

i) **साईलेज – 105000.00 रूपये**
वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत योजना में से एक लाभुक का अनुदान अव्यवहृत राशि चालू खाता में जमा है ।

ii) Construction Security money – **2374493.00 रूपये**
विभिन्न निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा राशि रूपये 1859828.00 एवं निमार्ण कार्य विपत्र के विरूद्ध निकासी की गई राशि रूपये 514665.00 जिसका भुगतान निर्मित भवन के हस्तांतरण नहीं होने के कारण लम्बित है एवं चालू खाता में राशि जमा है।

iii) Milk Parlour – **7061731.00 रूपये**
वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत योजना मिल्क पार्लर एवं मिल्क पोर्टेवल बूथ निर्माण की अव्यवहृत राशि चालू खाता में जमा है ।

iv) **दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़िकरण – 55212191.00 रूपये**
वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत योजना दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़िकरण की योजना में से दुग्ध उत्पादक सहकारी संघो के माध्यम से संचालित डेयरी के व्यय प्रतिपूर्ति आवश्यक जाँचोपरान्त किया जा रहा है। माह, फरवरी 2016 में हजारीबाग जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० का दुग्ध परिवहन विपत्रों का भुगतान संबंधित दुग्ध परिवहनकर्त्ता को RTGS के माध्यम से किया गया है।

v) NMPS – **37966303.00 रूपये**
वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत योजना नेशनल मिशन फॉर प्रोटिन सप्लीमेंट के तहत TSP, OSP तथा SCSP के लाभुकों को दुधारू मवेशी के लिए मिल्कींग मशीन, डीप बोरींग, कैटेल शेड निर्माण, खोआ/पेड़ा मेकिंग मशीन, बल्क मिल्क कूलर आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है। आवश्यक जाँचोपरान्त अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है।

उक्त के संदर्भ में गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड को संसूचित भी किया गया है।

29/2/2016
निदेशक, गव्य

(55)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय, स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक 25.02.2016 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू० – 12 से संबंधित

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०वि०स०		श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड में सुखाड़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं किया गया है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 1683 दिनांक 03.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। क्षेत्रीय अधीनस्थ कार्यालयों से किसी भी जिला में सूखाग्रस्त के कारण चारा की कमी नहीं बतायी गयी है और न ही इसकी माँग की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड – 1 में वर्णित पशुओं के चारा हेतु प्रत्येक पंचायत स्तर पर मुफ्त चारा वितरण केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गई है।	क्षेत्र में चारा की कमी की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण निदेशालय स्तर पर पंचायत स्तर पर मुफ्त चारा वितरण केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी पंचायत में मुफ्त चारा वितरण केन्द्र खोलकर पशुओं के लिए चारा की समुचित व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	चारे की कमी की सूचना प्राप्त नहीं रहने के कारण तत्काल मुफ्त चारा वितरण केन्द्र खोलने की कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :– 6 विविध (अ०सू०) 09 / 2016 ..... 301 ..... दिनांक ..... 23.02.2016 .....

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 542 वि०स० दिनांक 12.02.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में तथा अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को 01 (एक) प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/16

सरकार के अवर सचिव

56

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–33 का उत्तर सामग्री

क्र०सं०	प्रश्न	विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के व्यक्तिगत आय वृद्धि योजना के तहत परिसंपति वितरण करने के लिए जाँचोपरांत एवं सत्यापन कर कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा कल्याण सचिव के पत्रांक सं०– 20709, दिनांक– 13.12.2013 के आलोक में पत्र सं०– 1021, दिनांक– 11.02.2014 द्वारा कल्याण विभाग, राँची को भेजा गया था ?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जनजातीय उपयोजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना भारत सरकार के अनुदान की योजना है इसके अन्तर्गत योजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाता है एवं इस योजना अन्तर्गत 2010–11 तक ही परिसम्पति वितरण की स्वीकृति की गई है। इसके पश्चात् परिसम्पति वितरण का कार्य नहीं स्वीकृत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या– 5305/2005 में दिए गए आदेश के आलोक में ही लंबित परिसम्पति वितरण किया गया है। जिला कल्याण गढ़वा द्वारा पत्रांक– 121, दिनांक 11.02.2014 विभाग में प्राप्त हुआ है परन्तु अब विभाग द्वारा ऐसी योजना नहीं ली जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि व्यक्तिगत आय वृद्धि के लिए कर्णांकित राशि को बिना कैबिनेट की स्वीकृति के मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के माध्यम से खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की नई योजना "मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजति ग्राम विकास योजना" कैबिनेट की स्वीकृति के उपरान्त संकल्प निर्गत किया गया है। संकल्प में लिए गये निर्णय के आलोक में चयनित ग्रामों के एक स्वयं सहायता महिला समूह को 1.00 लाख रू० स्वरोजगार हेतु अनुदान एवं 05 शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को 2.00 लाख रू० स्वरोजगार हेतु अनुदान के साथ झारखण्ड ट्राईबल डबलपमेंट सोसाईटी द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण/ स्वरोजगार संबंधित जानकारी दिया जाएगा। विभागीय मार्ग निर्देश संख्या– 2971, दिनांक– 22.09.2015 के कंडिका 06 में उन सभी चयनित गाँवों में प्रशिक्षण/ उपकरण आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना पाँच चरण में लिया जायेगा। प्रथम चरण 2015–16 में 1000 ग्रामों को लिया गया है। इससे 1000 महिला स्वयं समुह सहायता तथा 5000 बेरोजगार युवक/ युवतियों को लाभान्वित किया जायेगा। अतः विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत व्यक्तिगत आयवृद्धि योजना नहीं ली जा रही है। उक्त मार्ग निर्देश के कंडिका 6 के अनुसार उन्हें लाभकारी योजनाओं से भी उक्त गाँव में कार्य किया जाएगा (अनुलग्नक)।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति के वैसे परिवार जिनका चयन एवं सत्यापन व्यक्तिगत आय वृद्धि के लिए किया गया था उनके व्यक्तिगत आय वृद्धि की व्यवस्था करने एवं जिन दोषी पदाधिकारियों की वजह से अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति के परिवार उक्त आय वृद्धि योजना से वंचित रह गए, उन्हें दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। ऊपर कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–04/वि०स०(अ०सू०)–07/2016 661 राँची, दिनांक: 24/2/16.

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को ज्ञाप संख्या– 1028, दिनांक–17.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.2.16

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

2971
22/9/15

(5)

विषय:– मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देश।

विभाग के संकल्प संख्या– 2695 दिनांक– 25.08.2015 द्वारा " मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना" की स्वीकृति दी गई है।

विभाग के पत्र संख्या–2960, दिनांक– 21.09.2015 द्वारा इस वित्तीय वर्ष में चयनित ग्रामों की सूची आपको भेज दी गई है।

इन चयनित ग्रामों में निम्न कार्रवाई प्रारम्भ करें :–

1. प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा कराकर एक स्वयं सहायता महिला समूह का चयन किया जाना है। यदि उस गाँव में पूर्व से अच्छी स्वयं सहायता समूह कार्यरत है तो ग्राम सभा उसी समूह का चयन का प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति को भेजेगी। इस महिला समूह में अधिकतम 10 अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्याएं होंगी। समूह चयन के पश्चात् समूह के प्रशिक्षण, स्वरोजगार संबंधि योजना प्रस्ताव तैयार करने का कार्य झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। स्वरोजगार योजना संबंधि प्रस्ताव की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा देने के पश्चात् विभाग द्वारा समूह को 1.00 लाख रू० (एक लाख रू०) तक का सहायता उपलब्ध कराया जाएगा।

2. चयनित प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा द्वारा 05 शिक्षित बेरोजगार युवक– युवतियों का चयन किया जाएगा। चयन के पश्चात इनका प्रशिक्षण, स्वरोजगार संबंधि योजना प्रस्ताव तैयार करने का कार्य झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। स्वरोजगार योजना संबंधि प्रस्ताव की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा देने के पश्चात् विभाग द्वारा इन्हें 2.00 लाख रू० (दो लाख रू०) तक का सहायता/उपकरण प्रदान करेगी।

3. जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की जाय।

4. चयनित ग्रामों में झारखण्ड राज्य लघु वन उपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि० (झामकोफेड) तथा झारखण्ड राज्य सरकारी लाह क्रय–विक्रय एवं आहरण संघ लि०

22.9.15

(झासकोलैम्प) द्वारा लाह तथा लघु वन उपज का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने हेतु कार्य योजना जिला स्तरीय PMU तैयार करेगी।

5. चयनित ग्रामों में नियमित रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर लगाने हेतु जिला स्तरीय PMU कार्य योजना तैयार करेगी।

6. चयनित गाँवों में सरकार की अन्य लाभकारी योजनाओं को इन गाँवों में बेहतर कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय PMU कार्य योजना तैयार करेगी।

ह०/- 22.9.15

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-4/मुख्य०ग्रा०वि०-07/15 2971 राँची, दिनांक: 22/9/15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ संबंधित उप विकास आयुक्त/कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी/संबंधित परियोजना निदेशक, ITDA/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम/संबंधित अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 22.9.15

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

(57)

प्रो0स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–27 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि गम्हरिया लैम्पस में 11.63 करोड़ रूपये के घोटाले की बात सामने आयी है और इस मामले में विभाग द्वारा 13 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सरायकेला के द्वारा यह आरोप लगाया गया था, जिसपर मामले की जाँच हेतु गठित जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उक्त राशि के गबन की पुष्टि नहीं की गई है। परन्तु, यह पाया गया है कि लैम्पस में विभागीय निदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध ऋण एवं बचत खाता से Over Draft देकर वित्तीय अनियमितता किया गया है। सही स्थिति के आंकलन हेतु गम्हरिया लैम्पस के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल का गठन कर अंकेक्षण कराया जा रहा है। इस मामले में 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सहकारिता सचिव द्वारा गबन की गयी राशि जमा करने हेतु आदेश पारित करने के बाद भी मात्र 35 लाख रूपये ही जमा किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गबन की गयी पूरी राशि जमा नहीं करने के बाद भी दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध न तो विभागीय कार्रवाई और ना ही प्राथमिकी दर्ज की गयी है ;	अस्वीकारात्मक। दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है। सही स्थिति के आंकलन हेतु गम्हरिया लैम्पस के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल का गठन कर अंकेक्षण कराया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घोटाले की राशि वसूली करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने का इरादा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। दोषी पदाधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। राशि की वसूली हेतु समुचित कार्रवाई जारी है।

ह0/–
(केशव कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

कृ०पृ०उ०

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांकः–02/निग0 (विधायी)–03/2016 सह0 453 **/राँची, दिनांक–** 24/02/2016.

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 1031 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2016

(केशव कुमार सिन्हा)

सरकार के उप सचिव।

(58)

श्री अरुप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25-02-2016 को पूछा जानेवाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-38 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अरुप चटर्जी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक 17.01.2014, 24.10.2014 एवं 27.04.2015 को राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के साथ राज्य बिजली कामगार यूनियन के सदस्यों के माँगों की पूर्ति हेतु एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त समझौता में यह तय था कि स्नातक उर्त्तीण कर्मी को तृतीय श्रेणी में लिपिक श्रेणी में लिपिक पद पर नियुक्ति, मैनडेज, अनुबंध कर्मी, कम्प्यूटर परिचालकों का नियमितिकरण संबंधी माँगों की पूर्ति अविलम्ब किया जाएगा, परन्तु यह आज तक नहीं हो पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक, निगम में लागू नियमों के तहत सीधे नियमितिकरण का प्रावधान नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषय के संबंध में अविलम्ब समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एतद् संदर्भ में उल्लेख करना है कि निगम में कार्यरत अर्हता प्राप्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की आन्तरिक नियुक्ति तृतीय श्रेणी के रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध किये जाने से संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में किये गये आन्तरिक नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के समक्ष याचिका दायर की गई है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वर्तमान में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों में प्रथम चरण की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 02/2015 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, कनीय अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय तकनीकी कारीगर श्रेणी में भर्ती हेतु प्रक्रिया पूर्ण की गई है, जिसमें क्षेत्र विशेष में अनुभव रखने वाले अर्हता प्राप्त कर्मी को अधिमान्यता प्रदान की गई है। निगम में निरन्तर सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों को भी इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। पुनश्च इसी क्रम में द्वितीय चरण में प्रारम्भ की जाने वाली तकनीकी कामगार श्रेणी नियुक्ति में भी अनुभव प्राप्त कर्मियों को उम्र सीमा में छुट के साथ अनुभव आधारित अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 554 / दिनांक 24-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(59)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 25.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–28 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री दीपक बिरूवा,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वज़निक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को नमक आपूर्ति करने हेतु माह नवम्बर 2015–जनवरी–2016 तक तीन महीनों के लिए संविदा निकाली गई थी;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि 31 जनवरी 2016 को तीन महीनों के लिए की गई नमक आपूर्ति की संविदा अवधि समाप्त हो गई परन्तु संविदा लेने वाली कम्पनियों ने अब तक जिलों को नमक आपूर्ति नहीं कराया है;	वित्तीय वर्ष 2015–16 (नवम्बर से जनवरी) के लिए नमक आपूर्ति की संविदा अवधि समाप्त हो गई है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार जिलान्तर्गत प्रायः सभी प्रखण्डों/गोदामों में नमक की आपूर्ति की गई है।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों को नमक की आपूर्ति नहीं हुई और विभाग ने फरवरी–मार्च 2016 की अवधि हेतु फिर से नया संविदा निकाला है;	जिलों से प्राप्त सूचनानुसार सभी जिलों में नमक की आपूर्ति की गई है। निविदा मात्र तीन महीने के लिए ही थी ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2015–16 में मात्र दो महीना ही शेष है। इस कारण दो महीनों (फरवरी–मार्च 2016) के लिए नयी निविदा प्रकाशित की गयी।
(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संविदा की शर्त्तो के मुताबिक नमक आपूर्ति नहीं करने वाली कम्पनियों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करने एवं संविदा पुनः निकालने का क्या औचित्य है ?	वित्तीय वर्ष 2015–16 (नवम्बर से जनवरी) के लिए प्रकाशित निविदा की कंडिका 10.6 में प्रावधानित है कि कार्यादेश निर्गत की तिथि से 45 से 55 दिनों के अंदर नमक आपूर्ति की जानी है एवं निविदा की कंडिका 10.7 में प्रावधान किया गया है कि विलम्ब से आपूर्ति की जाने पर 10 रूपये प्रति मे० टन प्रतिदिन दण्ड निर्धारित है। विलम्ब से आपूरित सामग्री का अधिकतम 5 प्रतिशत कटौती होगा। (कंडिका 12.2) उक्त प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में मात्र दो महीना ही शेष है। इस कारण दो महीना (फरवरी–मार्च 2016) के लिए नई निविदा प्रकाशित की गई ताकि लाभुकों को इसका लाभ मिल सके।

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 31/2016 656 /राँची, दिनांक 24.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1034 वि0स0, दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(60)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0		**उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**
क्र0	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसांवा एवं जमशेदपुर द्वारा पानी पंचायत में निर्मित तालाब की राशि का गबन हेतु सरायकेला–खरसांवा, उपायुक्त द्वारा गठित जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट का CD एवं रिपोर्ट सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात् एवं माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के पश्चात् भी अब तक किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की गई है;	उपायुक्त के जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण में आरोप के बचाव में कुछ तकनीकी आपत्ति की गई है, जिसकी तकनीकी जांच करायी जा रही है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई एव गबन राशि की वापसी कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–2 में उत्तरित।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–23/2016 645 कृ0,राँची,दिनांक– 24-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–540 दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-2-16

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–23/2016 645 कृ0,राँची,दिनांक– 24-02-16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-2-16

सरकार के संयुक्त सचिव

(61)

श्री शिव शंकर उराँव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शिव शंकर उराँव, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावा के नीमडीह लैम्स में 13 लाख 71 हजार रूपये के घोटाले की बात सामने आई है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस मामले में उक्त जिले के सहकारिता विभाग के वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी ने लैम्प्स में घोटाले से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी है ;	स्वीकारात्मक। अंकेक्षण पदाधिकारी ने लैम्पस घोटाले से संबंधित राशि 5,01,241.00 (पाँच लाख एक हजार दो सौ इकतालिस) रूपये प्रतिवेदित किया है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त घोटाले में निकाली गयी राशि अब तक सरकारी कोष में जमा नहीं करायी गयी है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घोटाले की राशि वसूली करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दोषी कर्मियों से कारण पृच्छा की गयी है। कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त होते ही उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(केशव कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांकः–02/निग0 (विधायी)–04/2016 सह0 459 **/राँची, दिनांक–** 24/02/2016.

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या 1030 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2016

(केशव कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।